9-10-17

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

कार्यालयः – 7वां एवं 8वां तल इन्दिरा भवन, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद में निम्नलिखित कार्मिकों हेतु श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक की दर पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की आपूर्ति हेतु दिनांक 16.10.2017 को अपराह्न 02:00 बजे तक ई–निविदा के माध्यम से आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र उत्तर प्रदेश की ई–प्रक्योरमेन्ट की वेबसाइट https://etender.up.nic.in से प्राप्त एवं देखे जा सकते है। निविदा के साथ मांग की जमानत धनराशि सी0डी0आर / एफ0डी0आर0 / एन0एस0सी0 के रूप में जो प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर / अधिशाषी अभियन्ता (वि0यॉ0), इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद के नाम बन्धक हो अथवा RTGS के माध्यम से जमा रसीद की स्कैन कापी अपलोड करना अनिवार्य है। बिना जमानत धनराशि के निविदा अवैध मानी जायेगी। निविदा प्रकाशन की तिथि से दो दिन बाद निविदा मूल्य एवं जमानत धनराशि यूको बैंक मुख्य शाखा सरदार पटेल मार्ग सिविल लाइन्स इलाहाबाद (IFSC Code UCBA0000032) खाता संख्या 00320204000449 में मूल्य जमाकर **अथवा RTGS के माध्यम से जमा** रसीद की स्कैन कापी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत या विभाजन करने का अधिकार उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में निहित होगा। निविदा खोले जाने की तिथि को यदि अवकाश होगा तो निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।

निविदा प्रपत्र, जमानत धनाशि, निविदा मूल्य तथा समय अवधि आदि का विवरण उपरोक्त वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

शर्ते :–

1. निविदा शुल्क एवं जमानत धनराशि की स्कैन कापी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा एवं निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में कार्यादेश (Work Order) निर्गमन से पूर्व निविदा शुल्क एवं जमानत धनराशि की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में ठेकेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही करते हुए उन्हें ब्लैकलिस्ट किये जाने की कार्यवाही तथा बैंक गारण्टी / एफ0डी0आर0 को नियमानुसार जब्त करने अथवा कटौती करने की कार्यवाही किया जाना तथा अभिलेख कूटरचित पाये जाने की दशा में एफ0आई0आर0 दर्ज किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
2. निविदा शर्तो के विरुद्ध निविदा डालने वाले ठेकेदार की जमानत धनराशि जब्त करते हुए काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
3. इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की रसीद अथवा ऑनलाइन फीस जमा करने की साक्ष्य की प्रति निविदा के साथ स्कैन कापी अपलोड करना अनिवार्य होगा।

क्र0 सं0	कार्मिकों का विवरण	कार्मिकों की संख्या	कार्य अवधि	जमानत की धनराशि (रु0 में)	ई–प्रीक्योरमेंट सोल्यूशन में ई–निविदा जारी करने का दिनांक	ई–प्रीक्योरमेंट सोल्यूशन में ई–निविदा प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक	ई–प्रीक्योरमेंट सोल्यूशन द्वारा ई–निविदा की प्राइस बिड खोलने की तिथि तथा समय	निविदा मूल्य (GST सहित)
1.	कम्प्यूटर आपरेटर	13	01 वर्ष	25,000.00	09.10.2017	17.10.2017 अपराह्न 2:00 बजे तक	17.10.2017 अपराह्न 04:00 बजे	Rs. 500.00
2.	इलेक्ट्रीशियन / विद्युत मिस्त्री	16	01 वर्ष	25,000.00	09.10.2017	17.10.2017 अपराह्न 2:00 बजे तक	17.10.2017 अपराह्न 04:00 बजे	Rs. 500.00
3.	विद्युत हेल्पर	09	01 वर्ष	25,000.00	09.10.2017	17.10.2017 अपराह्न 2:00 बजे तक	17.10.2017 अपराह्न 04:00 बजे	Rs. 500.00
4.	चौकीदार–कम–पम्प आपरेटर	04	01 वर्ष	25,000.00	09.10.2017	17.10.2017 अपराह्न 2:00 बजे तक	17.10.2017 अपराह्न 04:00 बजे	Rs. 500.00

नोटः—

1. क्र0सं0—1 की जमानत धनराशि सी0डी0आर/एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में जो प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद के नाम बन्धक होगी। क्रसं0—2 से 4 तक की जमानत धनराशि सी0डी0आर/एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में जो अधिशाषी अभियन्ता—(वि0यॉ0), इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद के नाम बन्धक होगी।
2. निविदादाताओं को उ0प्र0 के किसी सरकारी संस्थाओं/विकास प्राधिकरण/नगर निगम/जलकल विभाग में कार्मिकों की आपूर्ति का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसका प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। निविदा में दी गयी दरें एक वर्ष तक मान्य होंगी।
3. आयकर/व्यापार कर/सर्विस टैक्स श्रम विभाग ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 से सम्बन्धित पंजीकरण प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाताओं को जी0एस0टी0 में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, रजिस्टर्ड होने का प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
5. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त रू0 100.00 के गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध सम्पादित करना होगा।
6. शेष कटौतियां लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 के नियमों के अनुसार की जायेंगी।
7. निविदा के साथ एजेन्सी को पैन कार्ड प्रस्तुत करना होगा।
8. कर्मियों के कार्यस्थल एवं संख्या को कम अथवा अधिक करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण महोदय को होगा।
9. विवाद की स्थिति में आर्बिटेटर की नियुक्ति का अधिकार उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण महोदय को होगा।
10. विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में जनपदीय न्यायालय, इलाहाबाद का अधिकार क्षेत्र होगा।
11. कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता पायी जाती है तो जमा जमानत धनराशि प्राधिकरण द्वारा जब्त कर ली जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
12. शेष नियम व शर्तें निविदा प्रपत्र में उपलब्ध हैं।

(ए0के0 सिंह)
प्रभारी अधिकारी—कम्प्यूटर